पत्रांक 2ब० / नि०निर्वा०आ०–19–02 / 2008 2381 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय राज्यादेश सं०– 161, दिनांक– 07.10.2016 तथा आवंटनादेश सं०– 162, दिनांक- 07.10.2016 द्वारा नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के अवसर पर विभिन्न तैयारियों हेतु राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को कुल ₹43.14750 लाख (तैंतालीस लाख चौदह हजार सात सौ पचास रु०) मात्र स्वीकृत एवं आवंटित किया गया है। राज्यादेश एवं आवंटनादेश के कंडिका– 6 में यह उल्लेख है कि राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।

2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक– 7396, दिनांक– 23.12.2016 द्वारा अनुरोध किया गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए मतदाता सूची तैयार की जा रही है, जिसके लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सर्विसेज इंक, नयी दिल्ली से प्राप्त प्रोफार्मा विपत्र की राशि कुल ₹1.98883 लाख (एक लाख अंठानवे हजार आठ सौ तेरासी रु०) मात्र के भुगतान हेतु अग्रिम निकासी किया जाना आवश्यक है। यदि अग्रिम राशि की निकासी नहीं होती है तो मतदाता सूची के तैयारी में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में शुद्धि पत्र ज्ञापांक– 26, दिनांक– 06.01.2017 द्वारा AC विपत्र पर राशि की अग्रिम निकासी की अनुमति प्रदान की गयी।

4. पुनः सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रांक– 1124, दिनांक– 27.03.2017 द्वारा अनुरोध किया गया कि नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के लिए एन०आई०सी० द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति से लेकर विभिन्न प्रकार के डाटा अपलोडिंग के कार्य में तकनीकी मदद किया जाना है। तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु दो डाटावेस एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट लेवल–1 की कार्य अवधि दो माह के लिए विस्तारित करने की आवश्यकता है। इनसे प्रोफार्मा विपत्र भी प्राप्त है। इस आधार पर दो डाटावेस एडमिनिस्ट्रेटर सपोर्ट लेवल–1 के लिए आसन्न नगरपालिका आम निर्वाचन को देखते हुए कुल राशि ₹1.43196 लाख (एक लाख तेतालीस हजार एक सौ छियानवे रु०) की अग्रिम निकासी की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

5. उक्त अनुरोध एवं वित्त विभाग के पत्रांक– 2561, दिनांक– 17.04.1998 के कंडिका– 15 के आलोक में विभागीय राज्यादेश सं०– 161, दिनांक– 07.10.2016 तथा आवंटनादेश सं०– 162, दिनांक– 07.10.2016 द्वारा आवंटित कुल ₹43.14750 लाख (तैंतालीस लाख चौदह हजार सात सौ पचास रु०) में से ₹1.43196 लाख (एक लाख तेतालीस हजार एक सौ छियानवे रु०) के AC विपत्र पर अग्रिम निकासी की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निकासी की गयी राशि का DC विपत्र तैयार कर कोषागार एवं महालेखाकार, बिहार से सामंजन कर लिया जाय एवं विभाग को सूचित किया जाय।

4. उक्त राज्यादेश एवं आवंटनादेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

30.3.17

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/नि०निर्वा०आ०–19–02/2008 2381 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–30/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना /वित्त (बजट शाखा), विभाग, पटना/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।